# एशिया प्रशांत व्यापार समझौता

(पूर्व में बैंकॉक करार के रूप में जाना जाता था)

## विषय वस्तु

### टैरिफ रियायतों की राष्ट्रीय सूचियाँ

- बांग्लादेश
  - रियायत सूची
- चीन
  - सामान्य रियायतें
  - विशेष रियायतें
- भारत
  - सामान्य रियायतें
  - विशेष रियायतें
- कोरिया गणराज्य
  - सामान्य रियायतें
  - विशेष रियायतें
- श्री लंका
  - सामान्य रियायतें
  - विशेष रियायतें

भारत सरकार द्वारा जारी की गई सीमा शुल्क अधिसूचनाएँ

- एशिया प्रशांत क्षेत्र व्यापार समझौते (पूर्व बैंकाक करार के रूप में जाना जाता था) नियम, 2006 के तहत उत्पाद के मूल स्थान निर्धारण के नियम सं 94/2006 - सीमा शुल्क(एन.टी.) दिनांक 31 अगस्त, 2006-।

- सं. 89 / 2006- सीमा शुल्क दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के ए पी टी ए (आप्टा) (पूर्व बैंकाक करार के रूप में जाना जाता है) के लिए भारत द्वारा दी गई रियायतों के सदस्य देशों और ए पी टी ए के एलडीसी के सदस्यों की समेकित सूची को अधिसूचित

एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग

# एशिया और प्रशांत (बैंकाक समझौते) के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता पर पूर्व समझौते का संशोधन

## एशिया प्रशांत व्यापार समझौता

United Nations
ESCAP

**2005**

# एशिया और प्रशांत (बैंकाक समझौते) के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते के पहले अनुबंध का संशोधन

# एशिया प्रशांत व्यापार समझौता

## भूमिका

काबुल घोषणा में और व्यापार विस्तार कार्यक्रम पर अंतर सरकारी समिति द्वारा स्वीकृत, जो एशियाई व्यापार विस्तार कार्यक्रम के ढांचे के भीतर एशियाई आर्थिक सहयोग पर मंत्रियों की परिषद में काबुल घोषणा निहित निर्णयों के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विकासशील सदस्य देशों (ईएससीएपी) के बीच एक व्यापार विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने की आवश्यकता पर कार्रवाई लेने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए ;

एशिया तथा प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के 31 वें सत्र में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित ;

व्यापार का विस्तार विशेषज्ञता और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से,लाभ के माध्यम से प्राप्त निवेश और उत्पादन के अवसरों के विस्तार के द्वारा उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है, इस प्रकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आबादी के लिए उच्च जीवन स्तर को हासिल करने का एहसास है कि ;
एक दूसरे के बाजार के लिए और व्यापार व्यवस्था के विकास के अपने माल जो उत्पादन और व्यापार के तर्कसंगत और जावक उन्मुख विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल शर्तों पर पहुंच बढ़ाने के महत्व के प्रति जागरूक है I

यह देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तर पर विकासशील देशों के बीच वरीयताओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के महत्व को, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति की स्थापना की जनरल असेम्बली के प्रस्तावों के माध्यम सेदूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास दशक और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पर घोषणा के लिए और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य योजना; व्यापार विस्तार पर ठोस घोषणा, आर्थिक सहयोग और विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण

यू एन सी टी ए डी II में अपनाया; साथ ही शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते भाग IV के रूप में और सेवाओं और उसका अनुसरण में किए गए फैसले में व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद V; स्वीकार किया गया है I

आगे देखते हुए कि विकासशील देशों को पहले से ही इस तरह के व्यापार की ग्लोबल सिस्टम वरीयताओं के रूप में अधिमान्य व्यवस्था के इस प्रकार बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपस में कुछ प्रमुख निर्णय ले लिया है;

आश्वस्त किया है कि ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच वरीयताओं की स्थापना, अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों में किए गए प्रयासों के लिए अन्य पूरक, विकासशील देशों के बीच व्यापार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है;

बांग्लादेश जनवादी गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, भारत गणराज्य, लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकारों, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के रूप में इस पर सहमति जताई है:

## अध्याय I – सामान्य प्रावधान

### अनुच्छेद 1

### परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होगी:

1) "इसमें भाग लेने वाले राज्य" एक राज्य में जो समझौते द्वारा बाध्य होने के लिए सहमति दे दी गई है का मतलब अधिमिलन या ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के साथ अनुसमर्थन के अपने साधन के जमाव के कारण से है ।

2) "मूल भागीदार राज्यों" से मतलब है बांग्लादेश जनवादी गणराज्य, भारत गणराज्य, लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य ।

3) "ईएससीएपी के सदस्य देशों का विकास" का अर्थउन देशों के पैराग्राफ 3 और संदर्भ की शर्तों के 4 में शामिल आर्थिक और एशिया के लिए सामाजिक आयोग और प्रशांत की,वहां भविष्य में किसी भी संशोधन भी शामिल है।

4) "अल्पविकसित देश" का अर्थ एक ऐसा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के रूप में नामित किया।

5) "उत्पाद" का मतलब विनिर्माण और उनके कच्चे, अर्द्ध संसाधित और प्रसंस्कृत सभी उत्पाद शामिल है ।

6) " जैसा उत्पाद" एक उत्पाद जो विचाराधीन उत्पाद के समान है या, इस तरह के एक उत्पाद के अभाव में, एक अन्य उत्पाद जो, हालांकि समान नहीं, विचाराधीन उत्पाद के लक्षण से नजदीक से मिलता-जुलता है ।

7) "प्रशुल्क" का अर्थ है सीमा शुल्क की राष्ट्रीय प्रशुल्क अनुसूचियों में शामिल भागीदार राज्य।

8) "सीमा शुल्क और फीस" का अर्थ सीमा शुल्क और फीस, शुल्कों के अलावा अन्य, जो आयात पर पूरी तरह लगाया जाता है एक टैरिफ की तरह प्रभाव के साथ विदेश व्यापार लेनदेन पर, लेकिन अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों की तरह है जो घरेलू उत्पादों पर एक ही तरीके से लगाया जाता है नहीं कर रहे हैं। प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए इसी आयात शुल्क सीमा शुल्क और फीस नहीं माना जाता है।

9) "गैर-शुल्क उपायों का मतलब है" किसी भी उपाय, विनियमों या प्रथाओं, टैरिफ और सीमा शुल्कों के अलावा अन्य और फीस, आयात को प्रतिबंधित करने या काफी व्यापार बिगाड़ने के लिए जिनमें से प्रभाव है ।

10) "अधिमान्यता का गुंजाइश " कर के सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) की दर और इस तरह के उत्पाद के लिए शुल्क की अधिमान्य दर, और न उन दरों के बीच पूर्ण अंतर के बीच प्रतिशत अंतर होता है। इस प्रकार,

$$\text{अधिमान्यता का गुंजाइश} = \frac{(\text{एमएफएन का इयूटी टैरिफ समझौते के तहत स्वीकार की दर}) \text{ की मार्जिन} \times 100 \text{ (प्रतिशत)}}{\text{एमएफएन इयूटी}}$$

11) "रियायतों की कीमत" का मतलब अपनी इस समझौते के तहत इस पर सहमति व्यक्त की रियायतों की राष्ट्रीय सूची के माध्यम से प्रत्येक भागीदार राज्य द्वारा दिए गए लाभ का एक हद तक टैरिफ / गैर-टैरिफ अधिमान्यताओं से दूसरे भागीदार राज्यों द्वारा प्राप्त टैरिफ अधिमान्यताओं के मामले में रियायतों का मूल्य यदि अधिमान्यता का मार्जिन रखा जाता है और संरक्षित किया समझा जाएगा।

12) "गंभीर क्षति का मतलब है " स्थितियों में अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि से उत्पन्न की तरह या इसी तरह के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान जो आय, उत्पादन या रोजगार अल्पावधि में अस्थिर करने के मामले में काफी नुकसान पहुँचाते हैं। घरेलू संबंध उद्योग पर प्रभाव की परीक्षा भी अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांक कि उत्पाद के घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित होने का एक मूल्यांकन में शामिल होगा।

13) "गंभीर क्षति के खतरे" का अर्थ ऐसी स्थिति में अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि का है घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति के कारण, और उस के इस तरह की क्षति है, हालांकि अभी तक मौजूदा नहीं, स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर और मात्र आरोपों की अनुमान है, या दूरस्थ या काल्पनिक संभावना के आधार पर नहीं किया जाएगा।

## अनुच्छेद 2
## उद्देश्य

इस समझौते के उद्देश्य ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार के विस्तार की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और के स्वीकार करने के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार उदारीकरण उनके संबंधित वर्तमान और भविष्य के विकास और व्यापार जरूरतों के अनुरूप उपाय आगे बढ़ाने के हैं।

## अनुच्छेद 3
## सिद्धांत

निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार समझौते लागू होंगे :

(i) इस तरह से सभी भागीदार राज्यों को समान लाभ के लिये समझौता समग्र पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) पारदर्शिता के सिद्धांतों, राष्ट्रीय प्रशोधन और सबसे पसंदीदा राष्ट्र का प्रशोधन भागीदार राज्यों के बीच व्यापार संबंधों पर लागू होंगी;

(iii) भागीदार राज्य न्यूनतम विकसित देश की विशेष आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगा और उनके पक्ष में ठोस अधिमान्य उपायों पर सहमत होना होगा।

## अध्याय II - व्यापार उदारीकरण के कार्यक्रम

### अनुच्छेद 4

### रियायतें की बातचीत

इस समझौते में अन्य बातों के साथ,: (क) टैरिफ; (ख)बॉर्डर के प्रभार और शुल्क; (ग) गैर प्रशुल्क से संबंधित उपायों की व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं, । भागीदार राज्य टैरिफ रियायतें देने के लिए किसी के साथ उनकी बातचीत के अनुसार या निम्न दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का एक संयोजन का संचालन कर सकता है : (क) उत्पाद-उपोत्पाद के आधार; (ख) बोर्ड टैरिफ में कटौती ; (ग) क्षेत्रीय आधार। टैरिफ बातचीत प्रत्येक भागीदार राज्य के द्वारा लागू वर्तमान एमएफएन दरों पर आधारित होनी चाहिए। भागीदार राज्य आगे इस समझौते का विस्तार करने के लिए और अपने उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति की दृष्टि से आवधिक बातचीत में प्रवेश करेगा ।

### अनुच्छेद 5

### रियायतों का आवेदन

प्रत्येक भागीदार राज्य रियायतें की राष्ट्रीय सूची में शामिल अन्य सभी भागीदार देशों में उत्भूत उत्पाद के मूल स्थान के पक्ष में इस तरह के टैरिफ, बोर्डर प्रभार और शुल्क, और गैर टैरिफ रियायतें लागू करेगा । रियायतों की ये राष्ट्रीय सूचियाँ अनुलग्नक - I में है, जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है।

### अनुच्छेद 6

### गैर प्रशुल्क के उपाय

प्रत्येक भागीदार राज्य गैर-शुल्क उपायों के क्रमिक छूट के लिए अपने विकास की जरूरत और उद्देश्यों के अनुरूप उचित कदम उठाएगा , जो अपने राष्ट्रीय रियायतें की सूची में शामिल उत्पादों के आयात पर प्रभावित कर सकता है । व्यापार और स्वच्छता और पादप उपाय के तकनीकी बाधाओं से संबंधित मुद्दे जहाँ तक व्यवहार्य हो भागीदार राज्यों के बीच, इन विषयों पर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भागीदार राज्य एक पारदर्शी आधार पर मौजूदा स्वीकार उत्पादों पर गैर-शुल्क उपायों की एक सूची भी एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराएगा ।

### अनुच्छेद 7

### अल्प विकसित देश भागीदार राज्यों के लिए विशेष रियायतें

इस समझौते के अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के बावजूद, किसी भी भागीदार राज्य, अल्प विकसित देश करने के लिए विशेष रियायतें प्रदान कर सकता है, जो सभी अल्प विकसित देश भागीदार राज्य के लिए लागू करते हैं और अन्य भागीदार राज्यों के लिए लागू नहीं करेगा । ये विशेष रियायतें, अधिमान देने वाले भागीदार राज्यों की राष्ट्रीय सूची में शामिल की जाएगी ।

**अनुच्छेद** 8

**मूल स्थान नियम**

इस समझौते के अनुलग्नक में रियायतें की राष्ट्रीय सूचियों में निहित उत्पाद यदि अनुबंध II, के मूल के नियमों को संतुष्ट करता है, जो इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है, अधिमान्य के लिए पात्र है ।

**अनुच्छेद** 9

**रियायतों के मूल्य का परिरक्षण**

मूल्य के परिरक्षण को सुरक्षित करने के लिए अन्यत्र उपलब्ध कराए गए रियायतों के अलावा संलग्न राष्ट्रीय सूचियों में निर्धारित, रियायतों के साथ भागीदार राज्यों द्वारा निराकृत नहीं किया जाएगा या इस समझौते के लागू होने के बाद कोई प्रभार के आवेदन के माध्यम से या वाणिज्य उपाय को सीमित करने का इन रियायतों के मूल्य को कम करने जहां पहले से मौजूदा एक प्रभार से मेल खाती है, सिवाय उन के अलावा अन्य: (क) एक आंतरिक कर एक समान घरेलू उत्पाद पर लगाया; (ख) एक एंटी डंपिंग या प्रतिकारी ड्यूटी; या (ग) प्रदान की गई सेवाओं की लागत के अनुरूप शुल्क ।

**अनुच्छेद** 10

**अधिमान्य लाभ की पुन: स्थापना**

अगर, एक टैरिफ संशोधन के परिणाम के रूप में, इसमें भाग लेने वाले राज्य अन्य भागीदार राज्यों को दी गई रियायतों का मूल्य कम कर या अनिषेध देता है, समय का एक उचित अवधि के अंदर बराबर मूल्य की वरीयता के मार्जिन की फिर से स्थापना करते हुए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्षतिपूरक कार्रवाई करेगा या अन्य भागीदार राज्यों के साथ शीघ्र परामर्श करते हुए अपनी राष्ट्रीय सूची की एक परस्पर संतोषजनक संशोधन के लिए चतुर्थ अध्याय में उपबंधित रियायतों पर बातचीत की जाएगी । इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, समय की उचित अवधि के टैरिफ संशोधन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होता है। भागीदार राज्य इस अवधि से अधिक लेंगे तो उसके कारण का औचित्य प्रदान करेगा ।

**अनुच्छेद** 11

**समझौते की व्याप्ति**

समझौते में सभी उत्पादों का विनिर्माण और उनके कच्चे, अर्द्ध संसाधित और प्रसंस्कृत रूपों में वस्तुओं का समावेश है । भागीदार राज्य सहयोग के और सीमा और गैर-सीमा के उपायों के संबंध में पूरक और व्यापार के उदारीकरण के पूरक सहित क्षेत्रों पता लगाएगा ।इन में दूसरों के बीच में मानकों का सामंजस्य, परीक्षण के आपसी मान्यता और उत्पादों, व्यापक आर्थिक परामर्श, व्यापार सुविधा उपायों और व्यापार का प्रमाण पत्र सेवाएं शामिल हो सकती है ।

## अध्याय III - व्यापार विस्तार

### अनुच्छेद 12

### व्यापार विस्तार और विविधीकरण

समेकन, निरंतर विस्तार और व्यापार के आगे विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए भागीदार राज्यों को ध्यान में रखते उद्देश्यों और प्रावधानों का पालन उप पैराग्राफ में निर्धारित रखने के लिए सहमत हैं और उन्हें एक तरह से अपनी राष्ट्रीय नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप तेजी से लागू करने का प्रयास करेगा:

क) पूरी संभव हद तक , भागीदार राज्यों को एक दूसरे को अनुदान करेगा, उनमें से किसी एक के क्षेत्र मूल के आयात के संबंध में,जो कि इस समझौते के लागू होने से पहले के अलावा अन्य विद्यमान कोई और अनुकूल कम बेहतर;

ख) करों, दरों और अन्य आंतरिक कर्तव्यों और आरोपों के संबंध में, इसमें भाग लेने वाले राज्य के क्षेत्रीय मूल के उत्पादों हर दूसरे इसमें भाग लेने वाले राज्य के क्षेत्र में प्राप्त करेगा, एक उपाय है कि अन्य भाग लेने वाले राज्य द्वारा दी गई के अलावा कोई और कम बेहतर कि अन्य भाग लेने वाले राज्य द्वारा इसी तरह के घरेलू मूल उत्पादों के लिए ;

ग) भागीदार राज्य एक दूसरे के संबंध में, टैरिफ में परिचय या वृद्धि की घटनाएं नहीं, बोर्डर प्रभार और शुल्क , और अन्य भागीदार राज्यों के लिए मौजूदा या संभावित निर्यात हित के उत्पादों पर गैर-शुल्क उपायों का प्रयास करेगा। उत्पादों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए इस पैरा के दायरे के अंतर्गत , भागीदार राज्य स्थायी समिति के बारे में फैसला करेगा, इस में उत्पादों की श्रेणी समय-समय पर प्रस्तुत सूची में शामिल करेगा ;

घ) जब भी आवश्यक माना हो, भाग लेने वाले राज्य सहयोग के लिए विशेष रूप से सीमा शुल्क प्रशासन में, इस समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा और आसान बनाने और प्रक्रियाओं और पारस्परिक व्यापार से संबंधित औपचारिकताओं को मानकीकृत करने के लिए उचित उपाय करेगा। इस उद्देश्य के लिए स्थायी समिति के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे;

ड.) भागीदार राज्य, जहाँ तक व्यवहार्य हो, गैट 1994 के अनुच्छेद VI और इमदाद पर समझौते और कार्यान्वयन पर समझौते सहित प्रासंगिक विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के प्रावधानों का पालन करेगा; और सुनिश्चित करें कि बराबरी करों , इस समझौते के प्रावधानों को सौहार्द पूर्वक लागू की गई हैं;

च) राज्य इसमें भाग लेने वाले अपनाना होगा संगत के नवीनतम संस्करण को विश्व सीमा शुल्क की कमोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली संगठन एक आम टैरिफ नामकरण के रूप में और, जहाँ तक व्यवहार्य हो के रूप में, एच एस के छह अंकों के स्तर के आधार पर आगे की बातचीत का संचालन उत्पाद के वर्गीकरण;

छ) आगे की बातचीत के माध्यम से, भागीदार राज्यों को एक दूसरे से निर्यात हित के उत्पादों पर शामिल और रियायतों की मूल्य का विस्तार करने के लिए कदम उठाएगा। इस प्रयोजन के लिये , स्थायी समिति को समय-समय पर कार्रवाई का एक कार्यक्रम बातचीत की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपनाना होगा, अतिरिक्त बातचीत तकनीक और बातचीत के के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के संभावित स्थापना भी इसमें शामिल है।

**अनुच्छेद** 13

**लाभ, अनुकूल परिस्थिति, फ्रेंचाईज़ी प्रतिरक्षण या विशेषाधिकार का विस्तार**

व्यापार, किसी भी लाभ, अनुकूल परिस्थिति, फ्रेंचाइजी, प्रतिरक्षा या विशेषाधिकार के मामलों में एक उत्पाद के मूल के संबंध में भाग लेने वाले राज्य के द्वारा लागू या किसी अन्य भाग लेने वाले राज्य या किसी भी अन्य देश के लिए निर्दिष्ट परेषण को तुरंत और बिना शर्त जैसे उत्पाद के मूल के लिए बढ़ाया या अन्य भागीदार राज्यों के प्रदेशों के लिए निर्दिष्ट उत्पाद के लिए किया जाएगा।

**अनुच्छेद** 14

**अधिमान्यताओं के गैर आवेदन**

भागीदार राज्यों द्वारा दी गई अधिमान्यताओं के संबंध में अनुच्छेद 13 के प्रावधान लागू नहीं होगा :

क) अन्य भागीदार राज्यों और तीसरे देशों के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से;

ख) इस समझौते के लागू होने से पहले विशेष रूप से अन्य विकासशील देशों को ;

ग) इस समझौते के अनुच्छेद 7 के तहत इसमें भाग लेने वाले अल्प विकसित देश के राज्यों;

घ) अन्य भागीदार राज्यों के लिए भागीदार राज्यों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, जो आर्थिक विकास की एक अपेक्षाकृत कम उन्नत के स्तर के रूप में, बशर्ते कि ऐसी अधिमान्यताओं को पूरी पारस्परिकता के बिना अपेक्षाकृत कम उन्नत देश से दी जाती हैं, स्थायी समिति निर्णय लेगी, जो इसमें भाग लेने वाले राज्य समय-समय पर देशों की श्रेणी में आर्थिक विकास की एक अपेक्षाकृत कम उन्नत के स्तर पर होने के लिए विचार किया जाएगा;

ड.) किसी भी अन्य भागीदार राज्य और / या ई एस सी ए पी ई के अन्य विकासशील सदस्य देश जो इसमें भाग लेने वाले राज्य के साथ एक आर्थिक एकीकरण समूह के गठन में संलग्न है;

च) किसी भी अन्य भागीदार राज्य और / या अन्य विकासशील देशों के साथ समझौते या अन्य उत्पादक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम, अनुच्छेद 16 के दायरे में जो इसमें भाग लेने वाले राज्य एक औद्योगिक सहयोग में प्रवेश करता है।

उपरोक्त अपवादों होते हुए भी, प्रत्येक भागीदार राज्य जहां तक संभव हो, इस समझौते के प्रावधानों के साथ तीसरे देशों के साथ सामंजस्य के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

**अनुच्छेद 15**

**अल्प विकसित देश के भागीदार राज्य के लिए विशेष ध्यान**

अन्य भागीदार राज्यों के साथ अपने व्यापार के विस्तार में सहायता करने के लिए और तकनीकी सहायता और सहयोग की व्यवस्था के लिए अनुरोध करने के लिए अल्प विकसित देश से भागीदार राज्य इस समझौते के संभावित लाभ का लाभ लेने में विशेष विचार किया जाएगा ।

**अनुच्छेद** 16

**विशेष प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अधिमान्यताओं का विस्तार**

भागीदार राज्य विशेष प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क को विस्तार देने पर उत्पादों के पक्ष में औद्योगिक सहयोग के समझौतों में शामिल और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और / या ईएससीएपी के अन्य विकासशील सदस्य देशों की भागीदारी के साथ, जो विशेष रूप से देशों के पक्ष में लागू समझौतों या उद्यम के भागीदार या उन सभी पर विचार करने के लिए सहमत हैं I इस तरह के समझौतों या उद्यमों के लिए प्रावधान प्रोटोकॉल में सन्निहित किया जाएगा, स्थायी समिति ने इस करार के साथ अपनी संगतता की घोषणा की है, जो संबंधित भागीदार राज्यों के लिए प्रभाव में आएगा I

**अध्याय** IV - **रक्षा उपायों एवं परामर्श**

**अनुच्छेद** 17

रियायतों के निलंबन

(i) तो, इस समझौते के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में, स्थिति में सुधार करने के लिए समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से, विधिवत इन परामर्शों की प्रगति की जानकारी स्थायी समिति को देते हुए ,इसमें भाग लेने वाले राज्य के रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल एक विशेष उत्पाद के आयात कोई अन्य भाग लेने वाले राज्य के या क्षेत्र में उद्भव एक ऐसी तरीके से वृद्धि कर रहे हैं जैसा उद्देश्य या पैदा करने के लिए धमकी देने, घरेलू उद्योग को गंभीर चोट है कि या जैसे उत्पादों राज्य भाग लेने वाले आयात में सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों, आयात करने वाले भागीदार राज्य को अनंतिम रूप से और बिना भेदभाव,निलंबित कर सकते हैं, विशेष उत्पाद के संबंध में अपने रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल रियायतें और इसके साथ ही स्थायी समिति को सूचित करेगा और अन्य भागीदार राज्यों के साथ परामर्शों के) संबंध में दर्ज करेगा I

(ii) अगर संबंधित भागीदार राज्यों के बीच 90 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ है तो, फिर स्थायी समिति एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के लिए आगे निर्दिष्ट माध्यम से (क) निलंबन की पुष्टि; या (ख) रियायत का संशोधन; या (ग) बराबर मूल्य के एक रियायत के द्वारा अपना प्रतिस्थापन करेगा । अगर स्थायी समिति उस तारीख से 90 दिनों के भीतर एक संतोषजनक समाधान तक नहीं पहुँच सकती,तो निलंबन से प्रभावित भागीदार राज्य अस्थायी रूप से भागीदार राज्य, जो काफी हद तक बराबर रियायतों की ऐसी कार्रवाई की गई है, स्थायी समिति द्वारा एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए अधिसूचना और आगे की बातचीत के अधीन, जो उत्तरार्द्ध अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा अपनी अंतिम निर्णय अपनाना होगा, के व्यापार के लिए अनुप्रयोग को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र हो जायेगा ।

(iii) पूर्व की स्थिति और रक्षा उपायों के वैध आवेदन के लिए परिस्थितियों, जहाँ तक संभव हो, उसी के रूप में विश्व व्यापार संगठन पर रक्षोपाय समझौते के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

## **अनुच्छेद** 18
## **भुगतान प्रतिबंध का संतुलन**

(i) इस समझौते के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के बावजूद और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, भुगतान का अपने संतुलन की सुरक्षा के उद्देश्य से आयातों पर भागीदार राज्य जो यह प्रतिबंध लागू करने के लिए आवश्यक पाता है तो, जबकि रियायतें अपनी रियायतों की राष्ट्रीय सूची में सन्निहित के मूल्य की रक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। अगर, हालांकि, इस तरह के प्रतिबंध एक भागीदार राज्य द्वारा अपने रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल उत्पादों के संबंध में लागू की गई हैं, इस तरह के प्रतिबंध को अनंतिम रूप और भेदभाव के बिना लागू नहीं होगी, और उसके तुरंत एक परस्पर संतोषजनक समाधान बातचीत, प्रक्रियाओं की सूचना अनुच्छेद 19 और 20 में निर्धारित समझौते के अनुसार करने की दृष्टि से स्थायी समिति को दिया जाना चाहिए। इन परामर्श प्रक्रियाओं के होते हुए भी, रियायतें की अपने राष्ट्रीय सूची में शामिल उत्पादों के संबंध में भुगतान प्रतिबंध राज्यों को लागू संतुलन, भाग लेने वाले उत्तरोत्तर ऐसे प्रतिबंधों में ढील

करेगा जैसे भुगतान की स्थिति के अपने संतुलन में सुधार है और जब स्थिति अब उनके रखरखाव औचित्य साबित करने के इस तरह के प्रतिबंध समाप्त होगा।

(ii) पूर्व शर्त और भुगतान सुरक्षा उपायों के संतुलन के वैध आवेदन के लिए परिस्थितियों, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक ही जैसा गैट 1994 के भुगतान प्रावधान के संतुलन पर विश्व व्यापार संगठन की समझ के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

**अनुच्छेद** 19

**व्यापार असुविधा के उपाय**

अगर, इस समझौते के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में, एक भाग लेने वाले राज्य और दूसरों के बीच व्यापार के संबंध में भागीदार राज्य पूर्णत: महत्वपूर्ण और लगातार असुविधा बनाई गई हैं, भाग लेने वाले प्रभावित राज्य के अनुरोध पर, प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौते पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए या बाद के अनुरोध पर, आवश्यक कदम उठाने, अतिरिक्त रियायतें, आगे बहुपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए डिजाइन सहित उपयुक्त उपायों का स्वीकार करने के माध्यम **से इस तरह** के नुकसान के उपाय करने की दृष्टि के साथ परामर्शों के लिए स्थायी समिति पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी ।

**अनुच्छेद** 20

**गैर-अनुपालन**

यदि एक भागीदार राज्य एक और भाग लेते हुए राज्य विधिवत इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है, और इस तरह के गैर-अनुपालन से प्रतिकूल भाग लेने वाले राज्य के साथ अपने व्यापार संबंधों को प्रभावित करता है, उस पर विचार करना चाहिए ,पूर्व के साथ औपचारिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसके लिए प्रतिनिधित्व करने के कारण पर विचार करना होगा । अगर 120 दिनों के भीतर इस तरह के प्रतिनिधित्व किए जाने के बाद, संबंधित भागीदार राज्यों के बीच कोई संतोषजनक समायोजन प्रभावित नहीं होता है तो, मामला स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है , जो किसी भी भागीदार राज्य की ऐसी सिफारिश पर उचित फैसला कर सकती है। अगर संबंधित भागीदार राज्य स्थायी समिति की सिफारिश का पालन नहीं करता है, गैर-अनुपालन के राज्य के संबंध में स्थाई समिति जैसा इस समझौते के तहत इस तरह के दायित्वों के आवेदन उचित समझता है किसी भी भागीदार राज्य को बर्खास्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।

**अनुच्छेद** 21

**विवाद निपटान**

कोई भी भागीदार राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के मामले में इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग, या अपने फ्रेम वर्क के भीतर अपनाए किसी भी साधन के बारे में, संबंधित पक्षों के बीच एक समझौते के द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाएंगे। भागीदार राज्य 'की स्थिति में आपस में एक विवाद को सुलझाने की विफलता, विवाद को हल करने के लिए स्थायी समिति के पास लाया जाएगा। स्थायी समिति इस मामले की समीक्षा करेगी और जिस तारीख पर विवाद प्रस्तुत किया गया था उसके 120 दिनों के भीतर एक सिफारिश उस पर बनाएगी । इस उद्देश्य के लिए स्थायी समिति को उचित नियमों को अपनाना होगा।

# अध्याय - V समझौते की स्थायी समिति और संचालन

**अनुच्छेद** 22

**स्थाई समिति**

एक स्थायी समिति, भागीदार राज्यों के प्रतिनिधियों के (बाद में "समिति" के रूप में कहा जाएगा ) को शामिल करते हुए, , परामर्श , सिफारिशें करने और निर्णय लेने के रूप में आवश्यक और सामान्य रूप में, जो कुछ भी उपक्रम के उपायों के उद्देश्यों और इस समझौते के प्रावधानों की पर्याप्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो एक साल में कम से कम एक बार बैठक होगी और इस समझौते के आवेदन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

**अनुच्छेद** 23

**मंत्रिस्तरीय परिषद**

भागीदार राज्य पर्यवेक्षण करने के प्रयोजन से, समन्वय और इस समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु भागीदार राज्य , प्रत्येक भागीदार राज्य के संबंधित आर्थिक मंत्रालय से एक मंत्री को शामिल करते हुए मंत्री स्तर पर एक परिषद की स्थापना करता है । परिषद की हर दो साल में कम से कम एक बार या जब भी यह आवश्यक हो जाता है बैठक होगी । समिति मंत्रिस्तरीय परिषद को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सहायता प्रदान करेगी ।

**अनुच्छेद** 24

**निर्णय लेना**

सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रथा समिति के पसंदीदा अभ्यास होगा, और जब भी संभव हो लागू किया जाएगा । जरूरत पड़ी, तो हालांकि, एक दो-तिहाई बहुमत द्वारा,कार्यविधि के नियम अपनाना आवश्यक हो सकता है कि समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए करेगी, बशर्ते कि भागीदार

राज्यों के कम से कम दो तिहाई राज्य वोट डालने के लिए मौजूद हो । समिति, इस समझौते के संचालन से संबंधित व्याख्या और मामलों में तीसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संसूचित करेगी और तकनीकी सलाह और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग का अनुरोध कर सकती है ।

## अध्याय VI - समीक्षा और आशोधन

### अनुच्छेद 25

### समझौते की समीक्षा

(i) प्रत्येक सत्र में समिति इस समझौते के अनुच्छेद 2 और 3 में निर्धारित कार्यान्वयन, उद्देश्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रगति की समीक्षा करेगी ।

(ii) साल में कम से कम एक बार समिति, अध्याय द्वितीय में निर्धारित व्यापार के उदारीकरण के कार्यक्रम में प्रत्येक देश के सुसंगत योगदान के साथ इस समझौते के अनुप्रयोग से उत्पन्न लाभ के लिए एक परस्पर संतोषजनक ढंग से भाग लेने वाले सभी राज्यों को एकत्रित करते हुए आवश्यक सुधार और रियायतों की राष्ट्रीय सूचियों में सुधार करने की दृष्टि के साथ पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा करेगी ।

(iii) हर तीन साल समिति ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के क्रम में विस्तार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के साधन निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख समीक्षा का कार्य करेगी।

### अनुच्छेद 26

### समझौते में संशोधन

जहां संशोधन के लिए प्रावधान इस समझौते में कहीं और बनाया है, सिवाय इस समझौते के सभी अनुच्छेद समझौते में संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। अध्याय द्वितीय और तृतीय के अनुच्छेद 26 के प्रावधानों का संशोधन भाग लेने वाले सभी राज्यों द्वारा स्वीकृति पर प्रभावी हो जाएंगे। समिति अन्य सभी संशोधन के लिए, संशोधन प्रभावी होने के सवाल पर सर्वसम्मति से एक निर्णय को अपनाने हर संभव प्रयास करेगी । यदि आम सहमति से एक निर्णय पर नहीं पहुँची है, हालांकि, ये संशोधन भागीदार राज्यों में से दो तिहाई की स्वीकृति पर प्रभावी हो जाएगा।

**अनुच्छेद** 27

**रियायतों के आवेदन की अवधि**

चतुर्थ अध्याय के तहत सूचीबद्ध विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, रियायतों की राष्ट्रीय सूचियों में निहित रियायतें उनके प्रवेश की तिथि से तीन साल के आवेदन की एक न्यूनतम अवधि में लागू होगी । अगर उस अवधि के अंत में उससे संबंधित संशोधन किया या वापस ले लिया तो , भागीदार राज्य रियायतों के मूल्य का एक सामान्य स्तर की दृष्टि से उनके आपसी व्यापार के लिए संशोधन या वापसी करने से पहले मौजूदा फिर से स्थापित करने हेतु कम से कम अनुकूल परामर्शों में प्रवेश करेगी ।

**अनुच्छेद** 28

**रियायतों का प्रतिस्थापन**

वापस ले लिया रियायतें के  या चतुर्थ अध्याय के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संशोधित मामले में, संबंधित भाग लेने वाले राज्य कम से कम बराबर मूल्य के एक अन्य रियायतें द्वारा इस तरह की रियायतें को बदलने का प्रयास करेगा ।

**अनुच्छेद** 29

**रियायतों और भागीदारी के संवर्धन**

समिति लगातार रियायतों की राष्ट्रीय सूचियों करने के लिए परिवर्धन के लिए और राज्यों के भाग लेने की संख्या में वृद्धि के लिए बातचीत को प्रोत्साहित करेगी और वार्षिक व्यापार समीक्षा के समय अनुच्छेद 25 के तहत के लिए प्रदान की या किसी अन्य समय में यह वांछनीय समझे, इस तरह की बातचीत को प्रायोजित करेगी ।

## **अध्याय** VII - **अधिमिलन और आहरण**

**अनुच्छेद** 30

**समझौते के विलय**

(i) लागू होने के बाद, इस समझौते ईएससीएपी के किसी भी विकासशील सदस्य देश से अवाप्ति के लिए लाभात्मक हो जाएगा ।

(ii) इस समझौते को स्वीकार करने के अपने इरादे के बारे में, ऐसे किसी भी देश से ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के माध्यम से अधिसूचना पर समिति द्वारा प्राप्त किए जा रहे व्यापार की जरूरत और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के साथ वर्तमान और भविष्य के विकास के साथ संगत शर्तों पर इस समझौते के लिए समिति आवेदक देश के अवाप्ति की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ।

(iii) आवेदक देश भागीदार राज्यों की मौजूदा रियायतों के बदले में रियायतों की पेशकश करेगा और, एक अनुरोध सूची या अन्यथा के माध्यम से भागीदार राज्यों से जब तक अन्यथा, का फैसला किया अतिरिक्त रियायतें के लिए नहीं पूछा जाएगा।

(iv) सम्यक बातचीत के बाद, आवेदक देश सर्वसम्मति से समझौते को स्वीकार कर सकता है। अगर आम सहमति तक पहुँच नहीं है, हालांकि, आवेदक देश समझौते को स्वीकार करता है, तो भाग लेने वाले राज्यों के कम से कम दो तिहाई अपने अवाप्ति सिफारिश कर सकते हैं। भाग लेने वाले राज्यों के किसी भी तरह की अवाप्ति पर किसी को आपत्ति हैं, हालांकि, समझौते के प्रावधान देश और स्वीकार देश के बीच लागू नहीं होगा।

(v) यह समझौता ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के साथ रियायतों की राष्ट्रीय सूची और संबंधित प्रशासनिक अधिसूचना के साथ प्रवेश के इसके तत्संबंधी साधन के जमा होने की तिथि पर, एक योग्य स्वीकार राज्य के लिए प्रभाव में आ जाएगा।

(vi) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक संबंधित प्रशासनिक अधिसूचना का मतलब एक सरकारी अधिसूचना, इस तरह के एक सीमा शुल्क अधिसूचना के रूप में, समझौते के तहत स्वीकार राज्य के दायित्वों के लिए व्यावहारिक प्रभाव देता है।

## अनुच्छेद 31

**अवाप्ति की अधिसूचना, अनुसमर्थन और प्रभावित होना**

ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव भाग लेने वाले राज्यों और ईएससीएपी के अन्य विकासशील सदस्य देशों: (क) इस समझौते की अवाप्ति और का अनुसमर्थन; और (ख) जिस तारीख को यह समझौता प्रभावित होता है, एक नए भागीदार राज्य के लिए अधिसूचित करेगा ।

## अनुच्छेद 32

**समझौते से निकासी**

किसी भी भागीदार राज्य इस समझौते से वापस ले सकता है , ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के माध्यम से इस तरह की वापसी के लिए प्रभावी होने के छह महीने के अगले दिन जिस पर उसी के लिखित नोटिस भाग लेने वाले राज्यों के लिए पेश किया जाता है । एक भागीदार राज्य इस समझौते से अधिकारों और दायित्वों वापस ले लिया गया है जो लागू करने के उस तारीख से स्थगित करेगा । उस तारीख के बाद, भाग लेने वाले राज्यों और वापस लेने वाले देश और एक दूसरे के द्वारा प्राप्त रियायतें पूरे में या आंशिक रूप में वापस लेने के लिए संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे ।

# अध्याय VIII - विविध और अंतिम प्रावधान

## अनुच्छेद 33

## रियायतों के राष्ट्रीय सूचियाँ में संशोधन

अनुच्छेद 29 के प्रावधानों के अनुसरण में अनुलग्नक - 1 के संशोधन में शामिल होंगे :

(क) प्रशुल्क में कमी, बॉर्डर प्रभार और शुल्क, और उत्पादों पर गैर प्रशुल्क उपायों पहले से ही भागीदार राज्यों की रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल है ;

(ख) टैरिफ बॉर्डर के प्रभार और शुल्क की छूट, और उत्पादों पर गैर प्रशुल्क उपायों अभी तक भागीदार राज्यों की रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल नहीं;

(ग) प्रशुल्क , बॉर्डर के प्रभार शुल्क और फीस की छूट, और उत्पादों पर गैर प्रशुल्क उपायों स्वीकार राज्यों की रियायतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल है ।

## अनुच्छेद 34
## रियायतों की राष्ट्रीय सूचियों में लागू प्रविष्टि

समिति द्वारा संबंधित भागीदार राज्य द्वारा आशयित संबंधित अधिसूचना की प्राप्ति पर अनुलग्नक करना 1 के किसी भी संशोधन 30 दिनों की तारीख के बाद प्रभाव में आएगा, जिस पर समिति, एक दो-तिहाई बहुमत से, इस समझौते के उद्देश्यों के साथ इस तरह के प्रस्तावित संशोधन की अनुकूलता की घोषणा की है । भागीदार राज्यों की सरकार जैसा आवश्यक हो सकता है इस प्रावधान के अनुपालन करने के लिए जो कुछ आंतरिक प्रशासनिक उपाय शुरू करने के लिए खुद को के लिए बाध्य बनाती हैं । स्वीकार राज्यों की रियायतों की राष्ट्रीय सूचियाँ जिस पर अवाप्ति के संबंधित उपकरणों को ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के साथ जमा किया गया है, उस तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभाव में आएगा।

## अनुच्छेद 35
## अपवाद

भागीदार राज्य को इस समझौता में कुछ भी जो इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है,और उपायों को अपनाकर सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा, मानव, पशु और पादप जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण, और कलात्मक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य की वस्तुओं के संरक्षण पर कार्रवाई करने से **किसी भी नहीं रोका** जाएगा ।

## अनुच्छेद 36
## समझौते के गैर आवेदन

अगर इस समझौते के किसी भी भागीदार राज्यों के बीच एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत में दर्ज नहीं किया है और उनमें से किसी अपने हस्ताक्षर के समय अनुसमर्थन या प्रवेश के साधन के जमा नहीं किया है तो, इस तरह के आवेदन करने के लिए सहमति लागू नहीं होगा।

**अनुच्छेद 37**

**आरक्षण**

अनुच्छेद 36 के तहत किए गए प्रावधानों के अलावा,इस समझौते पर आरक्षण के साथ अनुसमर्थन या स्वीकृति के समय हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते न ही आरक्षण स्वीकार किया जाएगा ।

**अनुच्छेद 38**

**न्यासी**

इस समझौते के मूल, साथ ही समझौते के किसी भी संशोधन, ईएससीएपी के कार्यकारी सचिव के पास जमा किया जाएगा, जो प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य के लिए उसके एक प्रमाणित प्रतिलिपि हस्तांतरित करेगा।

**अनुच्छेद** 39

**करार के पंजीकरण**

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 102 के प्रावधानों के अनुसार इस समझौते को पंजीकृत किया जाएगा।

**अनुच्छेद** 40

**इस समझौते का नाम**

इस समझौते को , जो अब तक एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार वार्तालाप पर पहला समझौता कहा जाता था, बैंकाक समझौते के अनुसार, अब एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के नाम से जाना जाएगा।

जिस विषय में साक्षी, अधोहस्ताक्षरी, मूल हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों, उनके संबंधित सरकारों की ओर से वर्तमान समझौते पर बीजिंग में, इस नवंबर के दूसरे दिन, दो हजार और पांच में अंग्रेजी भाषा की एक प्रति में हस्ताक्षर किए हैं।

बांग्लादेश के  जनवादी गणराज्य:
:

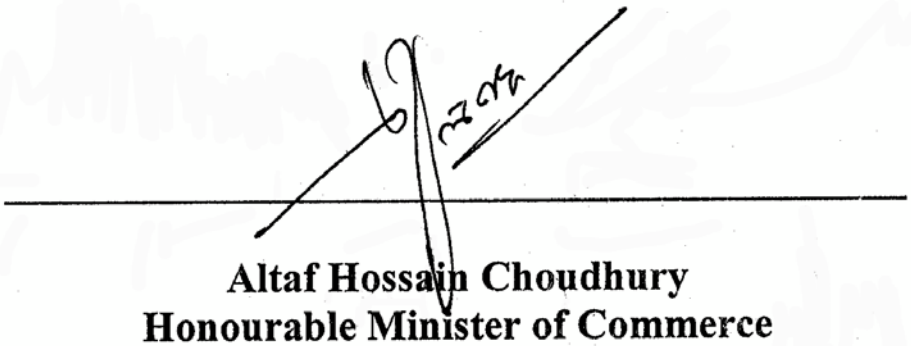

**Altaf Hossain Choudhury**
**Honourable Minister of Commerce**

चीन के जनवादी गणराज्य के लिए:

**Bo Xilai**
**Minister of Commerce**

भारत गणराज्य के लिए:

**E.V.K.S. Elangovan**
**Honourable Minister of State for Commerce and Industry**

लाओ लोक जनतांत्रिक गणराज्य के लिए:

**Siaosavat Savengsuksa**
**Vice-Minister of Commerce**

कोरिया गणराज्य के लिए

**Bahk Byong-Won**
**Vice Minister of Finance and Economy**

श्रीलंका के समाजवादी गणराज्य के लिए:

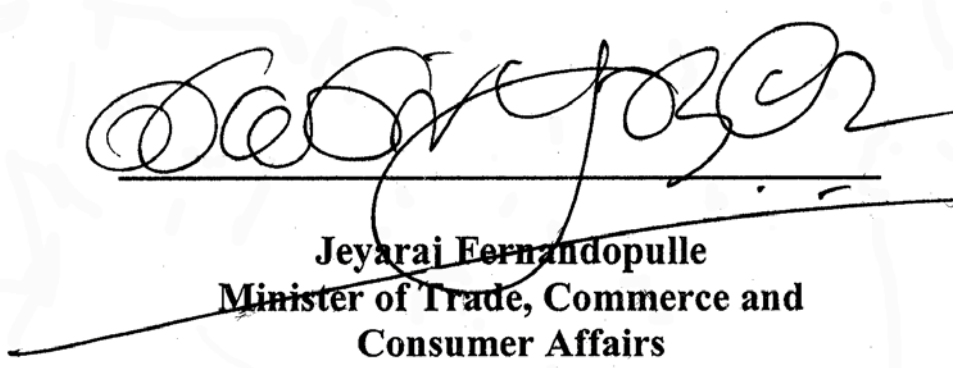

**Jeyaraj Fernandopulle**
**Minister of Trade, Commerce and Consumer Affairs**

**परिशिष्ट** 1:

## रियायतों की राष्ट्रीय सूचियाँ

1. रियायतों की राष्ट्रीय सूची: बांग्लादेश

2. रियायतों की राष्ट्रीय सूची: भारत

2-1. अल्पविकसित देशों को भारत की ओर से विशेष रियायतों की सूची

3. रियायतों की राष्ट्रीय सूची: कोरिया

3-1. अल्पविकसित देशों को कोरिया द्वारा विशेष रियायतों की सूची

4. रियायतों की राष्ट्रीय सूची: श्रीलंका

4-1. अल्प विकसित देशों को श्रीलंका द्वारा विशेष रियायतों की सूची

5. रियायतों की राष्ट्रीय सूची: चीन

5-1. अल्पविकसित देशों को चीन द्वारा विशेष रियायतों की सूची

# अनुबंध II

**एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के लिए मूल के नियम**

एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के अनुच्छेद 8 के आलोक के तहत अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पादों की उत्पत्ति का स्थान के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

**नियम 1: उत्पत्तिमूलक उत्पाद**

निम्न में से किसी एक के तहत अगर उत्पत्ति का स्थान आवश्यकता के अनुरूप अधिमान्य व्यापार द्वारा समाविष्ट उत्पाद सीधे नियम 5 के अंतगर्त समझौते के ढांचे के भीतर इसमें भाग लेने वाले राज्य से भाग लेने वाले दूसरे राज्य के क्षेत्र में आयात जो कि लिए परेषित जाता है, अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे :

(क) नियम 2 के रूप में परिभाषित निर्यात में भाग लेने वाले राज्य में उत्पाद पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त या ;

(ख) उत्पाद पूरी तरह से उत्पादन या निर्यात इसमें भाग लेने वाले राज्य में प्राप्त नहीं किया, बशर्ते कि उक्त उत्पाद नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र हैं।

## नियम 2: पूर्णत: उत्पादित या प्राप्त

नियम 1 (क) के अंतर्गत निम्नलिखित, निर्यात में भाग लेने वाले राज्य में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त: जैसा माना जाएगा :

(क) अपनी धरती, अपने पानी या समुद्र बिस्तरे से निकाले गए कच्चे या खनिज उत्पाद; [1]

(ख) वहाँ के पैदावार कृषि उत्पाद; [2]

(ग) वहां पैदा हुए और उपजात पशु

(घ) ऊपर के पैराग्राफ(ग) में निर्दिष्ट जानवरों से प्राप्त उत्पाद ;

(ड.) वहाँ आयोजित शिकार या मत्स्य ग्रहण से प्राप्त उत्पाद ;

(च) समुद्र में मत्स्यन से प्राप्त उत्पाद तथा अपने जहाज़ों द्वारा गहरे समुद्र से प्राप्त उत्पाद[3/4];

(छ) प्रसंस्कृत / या अपनी फैक्टरी के जहाजों की बोर्ड पर बनाए गए उत्पाद और [4/5] विशेष रूप से ऊपर पैरा (च) में निर्दिष्ट उत्पाद;

(ज) इस्तेमाल की गई सामग्री से वहाँ बरामद किए भागों या कच्चे माल जो कि अब अपने मूल उद्देश्य के प्रदर्शन मेंन सक्षम होते हैं और न ही कर सकते हैं;

(झ) वहाँ एकत्र इस्तेमाल की गई सामग्री जो अब वहाँ उनके मूल उद्देश्य का प्रदर्शन न कर सकते हैं और न ही नवीकरण या मरम्मत की जाने में सक्षम हैं और जो केवल निपटान के लिए या भागों या कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति के लिये उपयुक्त हैं;

**(ञ) वहाँ आयोजित निर्माण कार्यों से उत्पन्न रद्दी और रद्दी माल;**

(ट) वहाँ उत्पादित माल विशेष रूप उपर्युक्त पैरा (क) से (ञ) में निर्दिष्ट उत्पाद ।

**नियम 3: पूरी तरह से न उत्पादित या प्राप्त**

(क) नियम 1 (ख) के अंतर्गत, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री, भागों के कुल मूल्य या गैर भागीदार राज्यों से या अनिर्धारित इस्तेमाल किए मूल के उत्पादन जैसा संसाधित उत्पाद या उत्पादित या प्राप्त उत्पादों के एफ ओ बी मूल्य के 55 फीसदी से अधिक नहीं है और निर्माण की अंतिम प्रक्रिया के निर्यात में भाग लेने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर किया जाता है, नियम 3 (ग), (घ) और (ङ) के प्रावधानों के अधीन अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।

(ख) कार्यक्षेत्रीय समझौते [6]

(ग) नियम 3(क) में निर्दिष्ट गैर उद्भव सामग्री की सामग्री की गणना का सूत्र, और उद्भव का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकता इस प्रकार है:

*आयातित गैर उद्भव का मूल्य* *अनिर्धारित मूल सामग्री का मूल्य,*

*भाग या उपज सामग्री,* + *सामग्री, भाग या उपज*

---------- ---------- $100 \leq 55\% \times$

*एफओबी मूल्य*

(घ) गैर उद्भव सामग्री, भाग या उपज के मूल्य होंगे:

(i) सामग्रियों के आयात के समय सी.आई.एफ. मूल्य, भाग या उत्पादन जहां यह सिद्ध किया जा सकता है; या

(ii) जल्द से जल्द अभिनिश्चित सामग्री के लिए भुगतान किए मूल्य, अनिर्धारित मूल के भाग या उत्पादन में भागीदार राज्य के क्षेत्र जहां काम या प्रसंस्करण किया जाता है।

(ङ) नियम 1 (ख) की आवश्यकताओं संतुष्ट हैं या नहीं, उत्पादों के उद्भव दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्यों या प्रक्रियाओं पर्याप्त माना जाता है :

i) अच्छी स्थिति में उत्पादों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन या तो परिवहन या भंडारण (वेंटिलेशन, पसारना, सुखाने, प्रशीतन, नमक, सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य जलीय घोल में रखने, क्षतिग्रस्त भागों को हटाने जैसे प्रचालन के लिए;

ii) धूल को हटाने सहित सरल प्रचालन,छानना और स्क्रीनिंग, छँटाई, वर्गीकृत करने, मिलान (सामग्री के सेट बनाने सहित),धुलाई, चित्रकला, काटने;

iii) परेषण के पैकेजिंग के बदलाव तथा तोड़ना और संयोजन सभा

iv) सादा टुकड़ा करने की क्रिया, काटने या फिर से पैकिंग या बोतलें, बोतल, फ्लास्क, बक्से में रखना,कार्ड या बोर्ड, आदि पर फिक्सिंग

v) चिह्नों का, लेबल के चिपकाना या उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर के अन्य भेद का संकेत देना;

vi) सरल मिश्रण ;

vii) एक पूर्ण उत्पाद के गठन करने के लिए उत्पादों के कुछ हिस्सों का के साधारण संयोजन ;
viii) पशुओं के वध

ix) छीलने, शल्कन, अनाज को हटाने और हड्डियों को हटाने;और

x) ऊपर निर्दिष्ट दो या दो से अधिक प्रचालन का एक संयोजन।

**नियम 4: मूल के संचयी नियम**

उत्पाद जो नियम 1 में प्रदान की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए और जो कि उत्पादक सामग्री के रूप में एक भागीदार राज्य द्वारा उपयोग किया जाता है, एक तैयार उत्पाद अधिमान्य व्यवहार के लिए योग्य है इसमें एक भागीदार राज्य द्वारा और दूसरे भागीदार राज्य के क्षेत्र में , जहां कार्य होता है या तैयार उत्पाद के प्रसंस्करण जगह है, उत्पाद के उद्भव रूप में माना जाएगा बशर्ते कि कुल सामग्री भागीदार राज्यों के क्षेत्र में होने वाले अपने एफओबी मूल्य के 60 प्रतिशत से कम नहीं है। [7]

**नियम 5:सीधा परेषण**

निम्नलिखित आयातक भागीदार राज्य को निर्यात भागीदार राज्य से सीधे परेषित के रूप में माना जाएगा :

(क) किसी भी गैर-भागीदार राज्य क्षेत्र के माध्यम से पारित किए बिना उत्पादों को परिवहन किया जाता है, तो

(ख) उत्पाद जिसका परिवहन में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती गैर भागीदार राज्यों या बिना पोतांतरण के माध्यम से पारगमन या इस तरह के देशों में अस्थायी भंडारण शामिल है , बशर्ते कि:
(i) (I) पारगमन प्रविष्टि भौगोलिक कारण के लिए या विशेष रूप से परिवहन आवश्यकताओं से संबंधित हितों के लिए जायज़ है;

(ii) उत्पाद को वहाँ के व्यापार या उपभोग में दर्ज नहीं किया है ; तथा

(iii) उत्पाद को अच्छी हालत में रखने के लिए उतराई के और फिर से लोड करने या अन्य किसी आवश्यक प्रचालन के अलावा दूसरे कोई प्रचालन के अधीन नहीं है।

**नियम 6: पैकिंग का संचलन**

जब उत्पादों के मूल का निर्धारण करने पर उत्पाद के साथ शामिल एक पूरे पैकिंग पर विचार किया जाना चाहिए ।हालांकि, राष्ट्रीय विधान की आवश्यकता हो तो पैकिंग अलग से माना जा सकता है।

**नियम 7: मूल का प्रमाण पत्र**

अधिमान्य रियायतों के लिए योग्य उत्पाद के निर्यात पूरा करने के लिए इसमें भागीदार राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्राधिकरण द्वारा जारी और अन्य भागीदार राज्यों को अधिसूचित उत्पत्ति और नोटों की संलग्न नमूना प्रमाण पत्र के अनुसार मूल का एक प्रमाण पत्र[8] द्वारा समर्थित होगा।

## नियम 8: निषेध और सहयोग

(क) किसी भागीदार राज्य, दूसरे राज्यों जिसके साथ यह आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों नहीं है , से उद्भूत किसी भी उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर सकते हैं ।

(ख) इसमें भागीदार राज्य मूल के प्रमाण पत्र में आदानों की मूल निर्दिष्ट करने के लिए सहयोग देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

## नियम 9: समीक्षा

जब भागीदार राज्यों में से एक-तिहाई के आवश्यक अनुरोध पर इन नियमों की समीक्षा की जा सकती है और इस तरह के संशोधन के लिए सहमति व्यक्त की जा सकती है।

## नियम 10: विशेष मानदंड प्रतिशत

अल्प विकसित राज्यों के मूल उत्पाद पर नियम 3 और 4 में स्थापित प्रतिशत के एक अनुकूल 10 प्रतिशत अंक लागू करने की अनुमति दी जा सकती है । इस प्रकार, नियम 3 के लिए, प्रतिशत 65 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और नियम 4 के लिए, प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

भारत सरकार द्वारा जारी सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 94 /2006 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31 अगस्त, 2006 और सं. .89 / 2006- सीमा शुल्क दिनांक 1 सितंबर, 200

## पाद टिप्पणियाँ

1. खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ ही खनिज या धातु अयस्क भी शामिल है।

2. वानिकी उत्पाद शामिल हैं।

3. "जहाज़ों" - वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाज़ों के लिए उल्लेख होगा, एक भागीदार राज्य मेंपंजीकृत तथा एक नागरिक या नागरिकों या राज्य या साझेदारी, निगम या संघ के भाग लेने की सरकारों द्वारा संचालित है, विधिवत ऐसे भागीदार राज्य में पंजीकृत है, एक नागरिक या नागरिकों या भाग लेने वाले राज्यों या साझेदारी, निगम या संघ की सरकारों द्वारा संचालित है, विधिवत, ऐसे इसमें भाग लेने वाले राज्य में पंजीकृत जिनमें से इक्विटी के कम से कम 60 फीसदी नागरिक या नागरिकों और /या इस तरह इसमें भाग लेने वाले राज्य की सरकार या 75 प्रतिशत नागरिकों और / या भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों के स्वामित्व में है । हालांकि, जहाजों से लिया उत्पादों द्विपक्षीय समझौतों के तहत वाणिज्यिक मत्स्यन की सुविधा उपलब्ध कराने /इस तरह के जहाजों को पट्टे पर देने और / या इसमें भाग लेने वाले राज्यों के बीच पकड़ की शेयरिंग, भी अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।

4. सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित जहाजों या फैक्टरी जहाजों के संबंध में इसमें भाग लेने वाले राज्य का झंडा उड़ने की आवश्यकता लागू नहीं होगी। In respect of

5. इस समझौते के प्रयोजन के लिए, "फैक्टरी जहाज" शब्द का मतलब किसी भी पोत, प्रसंस्करण और / या बोर्ड पर बना उत्पादों विशेष रूप से ऊपर पैरा (च) में निर्दिष्ट उन उत्पादों के लिए इस्तेमाल करने के रूप में परिभाषित है ।

6. इस समझौते के तहत बातचीत के जरिए क्षेत्रीय समझौतों के ढांचे के भीतर कारोबार उत्पादों के संबंध में, विशेष मानदंड लागू करने के लिए प्रावधान बना देने की आवश्यकता हो सकती है । जब क्षेत्रीय समझौतों पर बातचीत किया जाता है इन मानदंडों को ध्यान दिया जाए।

7. उपरोक्त नियम 4 के द्वारा निहित के रूप में "आंशिक" एकत्रीकरण से मतलब यह है कि जब भागीदार राज्य के क्षेत्र में अधिमान्य मानने के लिए पात्र एक तैयार उत्पाद के लिए नियम 3 (ई) के अधीन आदानों का उपयोग किया जाता है, केवल उन उत्पाद जो इसमें भागीदार राज्य के क्षेत्र में मूल स्थिति का अधिग्रहण किया है को ध्यान में रखा जा सकता है ।

8. सभी भागीदार राज्यों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मूल स्थान का एक मानक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो भागीदार राज्यों द्वारा अनुमोदित है ।

# मूल प्रमाण पत्र का नमूना

एशिया प्रशांत व्यापार समझौते

(संयुक्त घोषणा और प्रमाण पत्र)

<table>
<tr><td colspan="3">1.से परेषित उत्पाद :<br>(निर्यातक के व्यापार नाम, पता, देश)</td><td colspan="3">संदर्भ सं.<br><br>में जारी …….<br>(देश)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. को परेषित उत्पाद:<br>(परेषिती का नाम, पता, देश)</td><td colspan="3">3. कार्यालय के उपयोग के लिए</td></tr>
<tr><td colspan="6">4. परिवहन के साधन और मार्ग:</td></tr>
<tr><td>5.प्रशुल्क<br>उत्पाद संख्या :</td><td>6. निशान और<br>पैकेज की संख्या :</td><td>7. संख्या<br>और पैकेज<br>का प्रकार/<br>उत्पाद का<br>विवरण:</td><td>8. मूल<br>मापदंड<br>(पृष्ठ की<br>दूसरी ओर<br>की<br>टिप्पणियां</td><td>9. कुल<br>वजन या<br>अन्य<br>मात्रा:</td><td>10. इनवॉइस संख्या<br>और<br>तारीख :</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. निर्यातक की घोषणा:<br><br>अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उपरोक्त विवरण और बयान सही हैं: सभी उत्पादों का उत्पादन<br><br>……. में<br>किया गया .(देश )<br>और वे ---------- को निर्यात उत्पाद के लिए एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते में उत्पादों के लिए निर्दिष्ट मूल आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं कि कि<br><br>……<br>(आयातक देश)<br>……<br>स्थान और तारीख, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</td><td colspan="3">12. <u>प्रमाणपत्र</u><br><br>यह एतदद्वारा किए गए नियंत्रण के आधार पर प्रमाणित है, कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही<br><br>……<br>स्थान और तारीख, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर</td></tr>
</table>

## उद्गम प्रमाण पत्र को पूरा करने के लिए नोट्स

I. सामान्य शर्तें:

अधिमान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पादों को करना होगा:

क) अधिमान्यता के लिए पात्र उत्पादों को एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के गंतव्य देश के रियायतों की सूची के वर्णन के अंतर्गत होना ;

ख) मूल के एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते के नियमों का पालन। एक परेषण की प्रत्येक सामग्री अपने आप में अलग से योग्य होना चाहिए ; तथा

ग) मूल के नियमों के लिए एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते द्वारा विनिर्दिष्ट परेषण शर्तों का पालन । सामान्य तौर पर नियम 5 के अर्थ के भीतर निर्यात के देश से गंतव्य देश को उत्पादों को सीधे परेषित किया जाना चाहिए।

**II. बक्सों में की ने की प्रविष्टियां**

**बॉक्स 1 से परेषित उत्पाद**

निर्यातक का नाम, पते और देश टाइप करें। नाम इनवॉयस में वर्णित निर्यातक के रूप में ही किया जाना चाहिए।.

**बॉक्स 2 को परेषित उत्पाद**

आयातक का नाम, पता और देश टाइप करें। नाम आयातक इनवॉइस में वर्णित के रूप में ही होना चाहिए। तीसरे पक्ष के व्यापार के लिए, शब्दों "आदेश के अनुसार" टाइप किया जाए।

**बॉक्स 3 सरकारी उपयोग के लिए**

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित

**बॉक्स 4 परिवहन और मार्ग के साधन**

निर्यात किए उत्पादों के लिए परिवहन और मार्ग के साधन विस्तार से बताएं। एल / सी शर्तों आदि के लिये ऐसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है । "हवाई जहाज द्वारा " या "समुद्र के द्वारा" टाइप करें । उत्पादों को किसी तीसरे देश के माध्यम परिवहन किया जाता है

निम्नानुसार संकेत दिया जा सकता है:

जैसे "हवाई जहाज द्वारा"

"बैंकॉक के जरिए भारत को लाओस से "

**बॉक्स 5 प्रशुल्क उत्पाद संख्या**

प्रत्येक उत्पाद के एच एस शीर्षक के 4 अंकों को टाइप करें I

**बॉक्स 6 पैकेज के निशान और संख्या**

प्रमाण पत्र के द्वारा समाविष्ट पैकेजों के निशान और का संख्या टाइप करें । यह जानकारी पैकेजों के निशान और संख्या के समान होनी चाहिए ।

**बॉक्स 7 संख्या और पैकेज का प्रकार; उत्पाद का विवरण**

निर्यात उत्पादों का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखें। यह इनवॉइस में निहित उत्पादों के वर्णन के समान होना चाहिए। सही विवरण गंतव्य देश के सीमा शुल्क प्राधिकारी को जल्दी उत्पादों को पारित करने में मदद करेगा।

**बॉक्स 8 मूल स्थान मानदंड**

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते के मूल के नियमों के नियम 2 के अनुसार अधिमान उत्पादों को पूरी तरह निर्यात भागीदार राज्य में उत्पादन या प्राप्त किया जाना चाहिए या जहां पूरी तरह उत्पादित या प्राप्त नहीं इसमें निर्यात में भाग लेने वाले राज्य के नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र होना चाहिए।

क) पूरी तरह उत्पादित या प्राप्त उत्पाद : बॉक्स 8 में अक्षर 'ए' दर्ज करें ।

ख) उत्पाद जो री तरह उत्पादित या प्राप्त नहीं किया गया : बॉक्स 8 में निम्नलिखित के अनुसार प्रविष्टि की जानी चाहिए:

1. नियम 3 के अनुसार उत्पाद जो मूल मानदंडों को पूरा करते हैं, बॉक्स 8 में अक्षर "बी" दर्ज करें। अक्षर 'बी' की प्रविष्टि के बाद उत्पाद के मूल्य का योग, भागों या गैर-आगीदार राज्यों के उत्पाद, या उपयोग किए अनिर्धारित मूल, उत्पादों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त; (उदाहरण 'बी' 50 प्रतिशत);

2. नियम 4 के अनुसार उत्पाद जो मूल मानदंडों को पूरा करते हैं, के लिए बॉक्स 8 में अक्षर "सी" दर्ज करें। अक्षर "सी" के प्रविष्टि के बाद निर्यात भागीदार राज्य क्षेत्र के मूल के कुल उत्पाद के योग द्वारा निर्यात किए उत्पाद के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ; (उदाहरण "सी" 60 प्रतिशत);

3. नियम 10 के अनुसार उत्पादों के लिए जो विशेष मूल मानदंडों को पूरा करने पर बॉक्स 8 में अक्षर 'डी' दर्ज करें।

**बॉक्स 9. सकल वजन या अन्य मात्रा**

प्रमाण पत्र में समाविष्ट उत्पादों के कुल वजन या अन्य मात्रा (जैसे टुकड़े, किलोग्राम के रूप में) टाइप करें।

**बॉक्स 10 इनवॉइस संख्या और तिथि**

इनवॉइस की संख्या और दिनांक बताएं । इनवॉयस की तिथि आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र पर स्वीकृति की तिथि के बाद नहीं होना चाहिए।.

**बॉक्स 11. निर्यातक द्वारा घोषणा**

"निर्यातक"शब्द नौभार परेषक से संदर्भित है जो एक व्यापारी या एक निर्माता भी हो सकता है। उत्पादक देश का नाम और आयात करने वाले देश और घोषणा की जगह और तारीख टाइप करें। इस बॉक्स में, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

**बॉक्स 12 प्रमाणन**

इस बॉक्स में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाणित करेंगे।